न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 22/2018

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल ....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

सरभद्री कोम ब्राहमण निवासी ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय दिनांक : 05.09.2018

दायरा दिनांकः 05.09.2018

पटवारी हल्का किशनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम किशनपुरा में हाल जमाबंदी 2073–76 से खाता संख्या 198 पर सरभद्री बेवा............कोम ब्राहमण साकिन मांगरोल के नाम खसरा नं0 385/898 रकबा 0.02 है0 दर्ज है। हाल जमाबंदी में पति का नाम दर्ज नही है। सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044–63 में खाता संख्या 126 पर मुसम्मत सरभद्री बेवा........... .कोम ब्राहमण साकिन मांगरोल के नाम खसरा नं0 385/898 रकबा 0.02 है0 भूमि दर्ज है। अर्थात सेटलमेंट जमाबंदी में मुसम्मत सरभद्री के पति का नाम दर्ज नही है। पूर्व सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2010–29 में भी सरभद्री बेवा................कोम ब्राहमण साकिन मांगरोल दर्ज है। अर्थात सरभद्री के पति का नाम दर्ज नही है।

ग्राम किशनपुरा एवं मांगरोल में सरभद्री के बारे में जानकारी ली गयी परन्तु किसी के द्वारा सरभद्री के बारे में जानकारी नही दी गयी और नही उसके पति के बारे में बताया गया।

अतः हाल जमाबंदी में सरभद्री के पति का नाम नामालूम दर्ज किया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 198 2. सेटलमेंट जमाबंदी (2044–2063) खाता नं0 126 की छायाप्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि "ग्राम किशनपुरा में हाल जमाबंदी 2073–76 से खाता संख्या 198 पर सरभद्री बेवा............कोम ब्राहमण साकिन मांगरोल" को हजफ कर नवीन इन्द्राज "हाल जमाबंदी में सरभद्री के पति का नाम नामालूम" का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।